महत्वपूर्ण

संख्या- 332 /नौ-7-2024-03(ज)/2023

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सी.ई.ओ. यूरिडा उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. नगर आयुक्तगण, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी 2024**

विषयः "मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) CM-GRIDS" के मार्गदर्शी सिद्धांत में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2112/नौ-7-2023-03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 तथा उक्त के क्रम में निर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2134/नौ-7-2023-03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 का कृपयासंदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि उपर्युक्त शासनादेश संख्या-2112/नौ-7-2023-03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत CM-GRID के दिशा-निर्देश के अध्याय-6 तथा उपरिवर्णित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.10.2023 के प्रस्तर-6 में उल्लिखित है कि एजेंसी (यूरिडा) हेतु डिप्टी सी.ई.ओ. यूरिडा के पद पर प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर के से.नि. सिविल इंजिनियर की तैनाती प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर की जायेगी।

3. प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि डिप्टी सी.ई.ओ. यूरिडा के पद पर लोक निर्माण विभाग या उसके अनुषंगी निगमों/प्राधिकरणों यथा उ.प्र. राज्य सेतु निगम/उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड/उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के कम-से-कम मुख्य अभियंता स्तर के से.नि. सिविल इंजिनियर की तैनाती पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन के माध्यम से की जायेगी।

4. उपर्युक्त निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश संख्या-2112 /नौ-7-2023-03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों तथा

-2-

उक्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2134/नौ-7-2023-03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 के प्रस्तर-6 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/लोक निर्माण विभाग/आद्यौगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासना।
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल (वेबसाट पर अपलोड किये जाने हेतु)।

आज्ञा से,
29.01.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।